

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प, रायसिंहनगर

प्रपत्र नं. ६

:-आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रायसिंह व रायसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रायसिंह / नायब तहसीलदार रायसिंह की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान न-राजप अधिनियम 1950 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रायसिंह तहसील रायसिंह जिला रायसिंह की जमाबन्दी सम्वत् 2022 में खाता संख्या 2871/3038 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	रायसिंह	27	प्रति. देवी पाले जोरत जाला जोरत - विस्तार विस्तार - जोरत जोरत जाला जोरत - विस्तार 2871/3038 ऑडिटर के कोर्ट काम का जोरत जोरत	प्रति. देवी पाले जोरत जाला जोरत - विस्तार जाला जोरत - विस्तार जाला जोरत - विस्तार 2871/3038 पेजान केवल बैंक जाला जोरत जोरत

रायसिंह
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर रायसिंहनगर

दिनांक :- 22/12/2021

संख्या :- 590

शर्तियाँ :-

1. तहसीलदार रायसिंहनगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की जाँच तथा जायज मालिकों की रिपोर्ट गिणवाये।
2. प्रार्थी को सूचना दे दी
3. संक्षेप पत्र लगा।

रायसिंह
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर रायसिंहनगर

